सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 12/16 निर्णय दिनांकः—11.07.2019

1. गणेशाराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी थारूसर तहसील पूगल हाल चक 650 आरडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. भानाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी हरपालू तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 14—01—2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुन्दरलाल बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 14—01—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि तहसील पूगल के चक 650 आरडी के मुरब्बा नम्बर 13/33 की 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटनशुदा भूमि थी

जोकि जरिये मुख्त्यारआम दिनांक 03—06—1997 को अपीलांट द्वारा क्रय की गई थी तथा खरीद के पश्चात् से ही उक्त भूमि अपीलांट् के कब्जे काश्त में चली आ रही है। मुख्त्यारआम के आधार पर धोषणात्मक एवं चिरनिषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर मात्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए कि मुख्त्यारआम के जरिये विवादित भूमि उसने प्रतिवादी से क्रय की है, जो विधि द्वारा मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बिन्दु संख्या ए व डी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है। जिसक कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित तथा अपीलांट की जरिये मुख्त्यारनामा खरीदशुदा भमि है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

जब वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित व अपीलांट की जरिये मुख्त्यारनामा खरीदशुदा सम्पति है तो ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने

विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के एक अवैद्य मुख्त्यारनामें के आधार पर खातेदार धोषित करने की इस्तदुआ की गई है। मुख्तयारनामें के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 650 आरडी के मुरब्बा नम्बर 13/33 की 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटनशुदा भूमि थी जोकि जरिये मुख्त्यारआम दिनांक 03—06—1997 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय की गई थी तथा उक्त तथाकथित मुख्त्यारनामें के आधार पर अपीलांट द्वारा खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा के बाबत् दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा बार्ड वाई लॉ होने के कारण खारिज

करने का कथन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि किसी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अन्तरण विक्रय पत्र अथवा गिफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्त्यारआम के जरिये विवादित भूमि का अन्तरण कानूनन मान्य नहीं होने के कारण अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा जरिये मुख्त्यारआम वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जबकि कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार मुख्त्यारआम के जरिये खातेदारी भूमि का क्रय किया जाना विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में विधि द्वारा वर्जित दस्तावेज के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण खारिज किया गया है। जिसके किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14—01—2016 उपखण्ड अधिकारी, पूगल बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 11—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर